स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>प्रेस नोट संख्याः 267, दिनांक 03-09-2021</u>

जनपद–बलिया में हत्या कर 2 कैश वैन की लूट, जिला पंचायत सदस्य की हत्या एवं 03 राज्यों से वांछित शहाबुद्दीन गैंग का शूटर व रू0 1,00,000/–का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी हरीश पासवान एसटीएफ उ0प्र0 के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में घायल, इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित।

दिनांक 03–09–2021 को जनपद बलिया के थाना रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत एस0टी0एफ0 टीम के साथ हुई साहसिक मुठभेड़ में जनपद–बलिया में हत्या कर 2 कैश वैन की लूट, जिला पंचायत सदस्य की हत्या एवं 03 राज्यों से वांछित शहाबुद्दीन गैंग का शूटर व रू0 1,00,000/– (एक लाख रूपये) का पुरस्कार घोषित/वांछित कुख्यात शूटर घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

<u>अभियुक्त का विवरणः–</u>

हरीश पासवान पुत्र इन्द्रदेव पासवान, नि0 बाबूबेल, थाना हल्दी, जनपद–बलिया।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर।
2– 01 अदद पिस्टल .32 बोर।
3– 11 अदद खोखा कारतूस .32 बोर।
4– 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।

<u>मुठभेड़ का स्थान/दिनांकः–</u>

जनपद बलिया के थाना रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–नीबू चट्टी मोड, दिनांक 03–09–2021 समय 11.30 बजे।

हरीश पासवान पूर्वांचल के जनपद बलिया एवं अन्य जनपदों मे आतंक का पर्याय बन चुका था, हरीश पासवान अंतर्रप्रान्तीय अपराधी था जो कि शहाबुद्दीन का शार्प शूटर रहा व विगत 2 दशको से हत्या, हत्या कर लूट, अपहरण, रंगदारी जैसे अपराधों मे संलिप्त रहा। उसके खिलाफ जनपद बलिया के अलावा झारखण्ड व छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर लगभग 33 मुकदमें दर्ज हैं, इसमें हत्या के आधा दर्जन मुकदमे हैं। हरीश के खिलाफ वर्ष–2004 में लूट का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। दिनांक 07–07–2021 को हरीश ने अपने साथियों के साथ मिलकर नगर पंचायत बैरिया पश्चिम टोला निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य जलेश्वर सिंह उर्फ बलवीर सिंह की हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद से हरीश फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रू0 एक लाख का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, गोरखपुर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह प्रभारी एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान आज दिनांक 03–09–2021 को सूचना मिली कि हरीश पासवान उक्त बदमाश अपने साथी के साथ रसड़ा से गाजीपुर की तरफ जाने वाला है, इस सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही व निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम द्वारा घेराबन्दी की गयी। समय लगभग 11.30 बजे एक मोटर साइकिल से दो व्यक्ति आते हुये दिखाई

दिये जिन्हें देखकर मुखबिर खास द्वारा इशारे से बताया गया कि मोटर साइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति ही हरीश पासवान है, जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा मोटर साइकिल को रोकने हेतु बुलंद आवाज मे अपना परिचय देते हुये रोकने का प्रयास किया गया एवं आत्मसमर्पण हेतु कहा गया, इस पर अचानक से मोटर साइकिल पर पीछे बैठा युवक अपने कमर मे खोसे गये असलहो को दोनो हाथों से असलहा निकालते हुये पुलिस टीम को भद्दी भद्दी गालियां देते हुये मोटरसाइकिल चालक ने मोटर साइकिल को तेजी से नीबू कबीरपुर से बनौली के रास्ते की ओर मोड़ा। कुछ दूर आगे जाने पर मोटर साइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति और अधिक उत्तेजित होकर पुलिस टीम को गाली देते हुए जान से मारने की नियत से फायर करने लगा, कुछ दूर आगे जाकर ढ़लान के पास मोटर साइकिल अनियंत्रित होकर गिर गयी परन्तु मोटर साइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति पुलिसजनो को जान से मारने की नियत से फायर करता रहा, पुलिस टीम द्वारा बुलंद आवाज मे कहा गया कि तुम फायर करना बंद कर दो, परन्तु बदमाश द्वारा फायरिंग बंद नहीं की गयी। जिस पर पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुये बदमाश को पकड़ने हेतु सिखलाई के तरीको से बदमाश की फायरिंग रेंज मे होते हुये भी आत्मरक्षार्थ नियंत्रित एवं संतुलित फायर करते हुये बदमाश को दबोचने हेतु आगे बढ़ा गया तत्समय बदमाश के तरफ से फायर आना बंद हो गया, जिसके उपरान्त पुलिस टीम द्वारा उस बदमाश के पास पहुँचकर देखा गया तो वह घायल पड़ा हुआ था, जिसकी पहचान हरीश पासवान पुत्र इन्ददेव पासवान उपरोक्त के रूप में हुई जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई। घायल बदमाश को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, जहॉ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान मानवाधिकार आयोग एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया।

<u>मृत अभियुक्त हरीश पासवान द्वारा किये गये जघन्य अपराधों का विवरणः–</u>

- वर्ष 2004 में जनपद बलिया के फेफना रोड पर थाना फेफना, स्थित बैंक में लूट की थी, जिसमें 7 लाख रुपये लूटे तथा बैंक कर्मचारी की हत्या की थी। घटना के एक घण्टे के अन्दर गिरफ्तार किया गया तथा पैसा व शस्त्र बरामद किया गया और इसे जेल भेज दिया गया।

- जेल से निकलने के उपरान्त वर्ष 2005 में यह बोकारो, झारखण्ड गया, जहां से किराये की बोलेरो गाड़ी बुक कराई गयी तथा सिवान बिहार में बोलेरो ड्राइवर की हत्या कर बोलेरो लूट ली गयी, जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 85/2005 धारा 302,420,379,120बी,34 भादवि थाना सिसवन, सिवान बिहार दर्ज किया गया। इसके साथ छोटे सिंह नि0–बैरिया भी था, जो कि कुख्यात लूटेरा है। जिस सम्बन्ध में थाना बेरमों, बोकारो झारखण्ड पर मु0अ0सं0 154/05 धारा 420/120बी/302/379/34 भादवि दर्ज किया गया था।

- इसके उपरान्त जेल से छूटने के बाद यह माफिया डॉन शहाबुद्दीन व खान मुबारक के सम्पर्क में आया व उनके लिए भाड़े के शूटर के रूप में कार्य करने लगा इसके द्वारा शहाबुद्दीन के कहने पर दिनांक 16.06.2014 को सतीश व गिरीश हत्याकाण्ड के गवाह राजीव रोशन की हत्या किया, जिसके सम्बन्ध में एक माह उपरान्त गिरफ्तार कर लिया गया।

- वर्ष–2016 में इसके द्वारा माफिया के कहने पर ही ठेकेदार पप्पू पटेल की कोरबा छत्तीसगढ़ में 10 लाख रूपये सुपारी लेकर हत्या की गयी। जिस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 2/16 धारा 302 भादवि थाना वांगो, कोरवा छत्तीसगढ़ पर दर्ज हुआ था,

➢ पुनः शहाबुद्दीन के कहने पर बन्टी द्वारा इसको हत्या की सुपारी दी गयी थी, जिसमें इसे एक लाख रूपये मिलने थे, जिस हेतु बलिया के सोनू और अजीत यादव को इसके द्वारा मऊ भेजा गया था।

➢ वर्ष 2014 में सीवान के बी0जे0पी0 नेता श्रीकान्त भारती की भी हत्या शहाबुद्दीन के कहने पर की गयी थी।

➢ कुख्यात माफिया खान मुबारक के कहने पर इसने दिनांक 15.10.2018 को हंसवार थाना क्षेत्र अम्बेडकर नगर में ब0एस0पी0 नेता जुरगाम मेहदी की उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की थी जिसमें बसपा नेता के कार चालक की भी हत्या हो गयी थी। इस घटना में इसके साथ अजीत यादव, सोनू गौड़, जितेन्द्र चौहान व एक अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल थे।

हरीश पासवान का अब तक प्राप्त अपराधिक इतिहास–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	56/2004	396, 412, 120बी भादवि	फेफना	बलिया
2	89/2004	2/3 (1) उ0प्र0 गै0एक्ट	फेफना	बलिया
3	57/2004	307 भादवि	नरहीं	बलिया
4	58/2004	25 आर्म्स एक्ट	नरहीं	बलिया
5	00/2004	41/411 भादवि	हल्दी	बलिया
6	81/2004	3 गुण्डा	हल्दी	बलिया
7	335/2005	147, 148, 307 भादवि व 7सीएलए एक्ट	कोतवाली	बलिया
8	336/2005	25 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	बलिया
9	निल/2005	41/411 भादवि	कोतवाली	बलिया
10	308/2005	392, 411 भादवि	कोतवाली	बलिया
11	154/2005	302, 120बी, 420, 379, 34 भादवि	बेरमो	बोकारो (झारखण्ड)
12	85/2005	302, 420, 379, 120बी, 34 भादवि	सिसवन	सिवान (बिहार)
13	37/2008	302, 394, 411 भादवि	बांसडीह	बलिया
14	319/2008	364–ए, /34, 120बी, 3 (1)गै0एक्ट	चौरीचौरा	गोरखपुर
15	251/2009	307, 120बी भादवि	कोतवाली	बलिया
16	294/2009	2/3(1) उ0प्र0 गै0एक्ट	कोतवाली	बलिया
17	45/2010	394, 302, 307, 397, भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट	दुबहड़	बलिया
18	429/2014	3/7/25 आर्म्स एक्ट	बैरिया	बलिया
19	430/2014	419, 420, 467, 466, 471 भादवि	बैरिया	बलिया
20	1297/2014	436, 386, 323, 506, 120बी, भादवि	कोतवाली	बलिया
21	472/2014	506, 386 भादवि	कोतवाली	बलिया
22	879/2015	8/20 एनडीपीएस	उभॉव	बलिया
23	997/2015	3 (1) उ0प्र0 गै0एक्ट	उभॉव	बलिया
24	02/2016	302, 201, 34 भादवि	बांगो	कोबरा(छत्तीसगढ़)
25	336/2016	25 आर्म्स एक्ट	हल्दी	बलिया
26	300/2019	302, 120बी भादवि	टाउन	सिवान (बिहार)
27	72/2019	302, 120बी भादवि	बांगो	कोरबा(छत्तीसगढ़)
28	167/2021	302, 120बी भादवि	बैरिया	बलिया

29	266/2021	386, 504, 506 भादवि	कोतवाली	बलिया
30	निल/2021	110जा सीआरपीसी	हल्दी	बलिया
31	167/2021	302, 120बी भादवि	बैरिया	बलिया
32	207/2021	506, 507 भादवि	बैरिया	बलिया
33	266/2021	386, 504, 506 भादवि	कोतवाली	बलिया

उपरोक्त के संबंध में थाना रसड़ा, जनपद बलिया पर मु0अ0सं0 268/2021 धारा–307 मु0अ0सं0 269/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।